न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर

न.मु.:–38/2017 पीठासीन अधिकारी : श्री दीनदयाल बाकोलिय, आर.ए.एस.

1. श्रीमती सोना पत्नी स्व. तेजाराम उम्र 50 साल जाति जाट निवासीनी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान।
2. पुजा नाबालिंग उम्र 13 वर्ष पुत्री स्व. तेजाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिय जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सोना देवी पत्नी स्व. तेजाराम उम्र 50 साल जाति जाट निवासीनी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. दुर्गाराम पुत्र स्व. अमराराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु।
2. लालाराम पुत्र स्व. अमराराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु।
3. गोपालाराम पुत्र स्व. अमराराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु।
4. सुरजाराम पुत्र स्व. सुखाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु।
5. लिछ्मणराम पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु।
6. गिरधारी पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु।
7. लादुराम पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु।
8. बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा दड़िबा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर।

प्रतिवादीगण

10. श्रवणराम पुत्र स्व. तेजाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु।
11. ननुराम पुत्र स्व. तेजाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु।
12. गोविन्दराम पुत्र स्व. तेजाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु।
13. तुलछाराम पुत्र स्व. तेजाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु।
14. भागुराम पुत्र स्व. तेजाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु।
15. अर्जुनराम पुत्र स्व. तेजाराम जाति जाट निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु।

गौण प्रतिवादीगण

विभाजन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरु

उपस्थित

1. श्री रघुवीर भांमू वकील, वास्ते वादीगण।
2. श्री मो. आमीन शेख, वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7।
3. पैरोकार राज।

निर्णय

दिनांक : 12-03-18

उपरोक्त वादपत्र में मुताबिक न्यायालय के आदेश के मुताबिक तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव वादगत खेत रोही बैनाथा जोगलिया के खेत खसरा न0 375 रकबा 9 बीघा 10 बिश्वा, खसरा न0 387 रकबा 19 बिघा, खसरा न0 319 रकबा 11 बीघा, खसरा न0 530/376 रकबा 3 बीघा, खसरा न0 532/385 रकबा 3 बीघा का पेश किया जिसमें वादीनीगण सोना देवी पत्नी स्व. तेजाराम जाति जाट व पूजा पुत्री स्व. तेजाराम, श्रवणराम, नानुराम, गोविन्दराम, तुलछाराम, भागुराम, अर्जुनराम पुत्रगण स्व. तेजाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर का खेत खसरा न0 375 रकबा 9 बीघा 10 बिश्वा सम्पूर्ण व खसरा न0 530/376 मीन रकबा 1 बीघा 17 बिश्वा कुल 2 रकबा 11 बीघा 7 बिश्वा का हिस्सा पांति कब्जा काश्त उपयोग उपभोग विभाजन प्रस्ताव में अंकित है व प्रार्थी दुर्गाराम, लालाराम, गोपलराम पुत्रगण अमराराम जाति जाट निवासी बैनाथा जोगलिया के हिस्सा पांति खेत खसरा संख्या 319 मिन रकबा 9 बीघा व खसरा संख्या 387 मिन 2 बीघा 8 बिश्वा कुल किता 2 रकबा 11 बीघा 8 बिश्वा हिस्सा पांति व कब्जा काश्त में है व प्रार्थीगण लिछ्मणराम, गिरधारी, लादुराम पुत्रगण मालाराम के हिस्सा पांति खेत खसरा संख्या 319 मिन रकबा 2 बीघा व खसरा संख्या 387 मिन रकबा 9 बीघा 8 बिश्वा कुला किता 2 रकबा 11 बीघा 8 बिश्वा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की बताई गई है व प्रार्थीगण सुरजाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी बैनाथा जोगलिया के हिस्सा पांति खेत खसरा संख्या 530/376 मिन 1 बीघा 3 बिश्वा व खसरा संख्या 532/385 रकबा 3 बीघा सम्पूर्ण व खसरा संख्या 387 मिन रकबा 7 बीघा 4 बिश्वा कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 7 बिश्वा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की बताई गई है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

बहस वकील पक्षकारान की विभाजन पर सुनी गई। पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव का पक्षकारो ने स्वीकार किया जिसके मुताबिक प्रस्ताव के अनुसार उपरोक्त वाद अंतिम डिक्री इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि रोही मोजा बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरु मे वादनी सोना देवी पत्नी स्व. तेजाराम जाति जाट व पूजा पुत्री स्व. तेजाराम, श्रवणराम, नानुराम, गोविन्दराम, तुलछाराम, भागुराम, अर्जुनराम पुत्रगण स्व. तेजाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर का खेत खसरा न0 375 रकबा 9 बीघा 10 बिश्वा सम्पूर्ण व 530/385 मीन रकबा 1 बीघा 17 बिश्वा उत्तर पाखी की हिस्सा पांति में अलग खातेदारी दर्ज की जावे व प्रार्थी दुर्गाराम, लालाराम, गोपालराम पुत्रगण अमराराम जाति जाट निवासी बैनाथा जोगलिया के हिस्सा पांति खेत खसरा संख्या 319 मिन रकबा 9 बीघा व खसरा संख्या 387 मिन 2 बीघा 8 बिश्वा दक्षिणी तरफ की हिस्सा पांति में अलग खातेदारी दर्ज की जावे व प्रार्थी लिछमणराम, गिरधारी, लादुराम पुत्रगण मालाराम के हिस्सा पांति खेत खसरा संख्या 319 मिन रकबा 2 बीघा उत्तर पूवी कोना व खसरा संख्या 387 मिन रकबा 9 बीघा 8 बिश्वा बीच की हिस्सा पांति में अलग खातेदारी दर्ज की जावे व प्रार्थी सुरजाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी बैनाथा जोगलिया के हिस्सा पांति खेत खसरा संख्या 530/376 मिन 1 बीघा 3 बिश्वा दक्षिण तरफ की व खसरा संख्या 532/385 रकबा 3 बीघा सम्पूर्ण व खसरा संख्या 387 मिन रकबा 7 बीघा 4 बिश्वा पूर्वी तरफ की हिस्सा पांति में आई हुई है जिसको मुताबिक हिस्सा पांति व विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा इस आदेश का भाग समझा जावे। मुताबिक रेकार्ड वित्तिय संस्था के दर्ज भूमि मुताबिक हिस्सा की दर्ज रहे। तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतु अलग से लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12/3/18 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

अंतिम डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

अजं अदालत .... मुकाम .... व

इजलास श्री जितेन्द्र बाकोलिया R.A.S. बीदासर

सोनादेवी बनाम डुंगरराम आदि

दावा बाबत ....

मुकदमा न0 38/17 सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....

हाजरी श्री रघुवीर माथुर एड मिनजानिब मुद्दई व श्री आमीन खान एड

.... मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि ....

मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार उपरोक्त वाद अंतिम डिक्री इस प्रकार निर्णीत किया जाता है। कि रोहि मौजा बेनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू में वादनी सोनादेवी पत्नी स्व. तेजाराम, अवनाराम, नानूराम, गोविन्दराम, तुलछाराम, भागूराम, अर्जुनराम, प्रजा पुत्र पुत्रि स्व. तेजाराम के हिस्सा पांति खेत ख.स. 375 रकबा 9 बिघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण व ख.स. 530/376 मीन रकबा 1 बिघा 17 बिस्वा उत्तर पास्की की हिस्सा पांति में अलग खातेदारी दर्ज कि जावे। व डुगंराम, लालाराम, गोपालराम पुत्रगण अमराराम जाति जाट के हिस्सा पांति में खेत ख.स. 319 मीन 7 बिघा व ख.स. 387 मीन रकबा 2 बिघा 8 बिस्वा पश्चिमी तरफ की हिस्सा पांति में अलग खातेदारी दर्ज की जावे। व किशनाराम, गिरधारी, लाडूराम पुत्रगण मालाराम जाति जाट के हिस्सा पांति खेत ख.स. 319 मीन 2 बिघा उत्तर पूर्वी कोणा की ख.स. 387 मीन रकबा 5 बिघा 8 बिस्वा बीच की हिस्सा पांति में अलग खातेदारी दर्ज कि जावे। व प्रार्थी सुरजाराम पुत्र डुंगाराम

चीज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 03 2018

मुहर

सत्यमेव जयते

दस्तखत ....

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		

*. जाति जाट के हिस्सा पांति में ख. न. 530/376 मीन 1 बिघा 3 बिस्वा दक्षिणी तरफ की ख. न. 532/385 रकबा 3 बिघा सम्पूर्ण, ख. न. 387 मीन रकबा 7 बिघा 4 बिस्वा पूर्वी तरफ की हिस्सा पांति में आई हुई है। जिसकी अलग खातेदारी दर्ज की जावे। व अलग - अलग खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे। व मुताबिक रेकार्ड वित्तीय संस्था के दर्ज भूमि मुताबिक हिस्सा की दर्ज कि जावे। तहसीलदार बीदासर को अंतिम डिक्री की पालना हेतु लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

सत्यमेव जयते